मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

ई-मेल

क्रं./बी-6/नियमन /परिपत्र/216/1524 भोपाल, दिनांक 15/03/2019

प्रति,

1 संयुक्त/उप संचालक
आंचलिक कार्यालय,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड....................(समस्त)

2 सचिव/भारसाधक अधिकारी,
कृषि उपज मण्डी समिति
.... जिला..........................(समस्त)

3 शाखा प्रबंधक,
मेसर्स आईटीसी लिमिटेड-(एबीडी),
301, तीसरी मंजिल, कार्पोरेट जोन सी 21 मॉल,
एनएच-12 होशंगाबाद रोड, मिसरोद भोपाल।

विषयः-जय किसान समृद्धि योजना रबी 2018-19 में गेहूँ पर रूपये 160 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने विषयक।

म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का आदेश क्रमांक/बी-16-3/2019/14-2, भोपाल दिनांक 7 मार्च 2019 (छायाप्रति संलग्न है) मे उल्लेखानुसार, प्रदेश की प्रमुख कृषि फसल गेहूँ की कृषि लागत बढ़ने, उत्पादकता बढाने के लिये कृषको को प्रोत्साहित किये जाने तथा एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 05 मार्च 2019 से जय किसान समृद्धि योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. जय किसान समृद्धि योजना मे रबी 2018-19 (रबी मार्केटिंग सीजन 2019-20) मे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जित कराने वाले पंजीकृत कृषको को रूपये 160 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि पात्र पंजीकृत कृषको के बैंक खातो मे भुगतान किये जायेंगे। इस योजना अन्तर्गत मण्डी मे न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य से उपर बेचा गया हो, दोनो स्थितियो मे जय किसान समृद्धि योजना मे गेहूँ पर प्रोत्साहन राशि का लाभ पंजीकृत किसानो को पात्रता अनुसार देय होगा। गेहूँ की उपार्जन अवधि बढ़ोत्तरी की दशा मे मण्डी मे उपरोक्तानुसार विक्रय अवधि स्वयंमेव मान्य होगी।

3. इसके अतिरिक्त मंडी बोर्ड द्वारा जिन संस्थाओ को एकल लायसेंस (क्रय केन्द्र स्थापित करके कृषको की उपज सीधे क्रय करने बावत) प्रदान किये गये है उनके केन्द्र पर विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानो को भी पात्रता अनुसार योजना का लाभ दिया जायेगा।

4. जय किसान समृद्धि योजना मे रबी 2018-19 अन्तर्गत गेहूँ की उपार्जन अवधि दिनांक 25 मार्च 2019 से 23 मई 2019 तक निर्धारित की गई है। योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त

करने के लिये कृषको को ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। ई–उपार्जन पोर्टल पर दर्ज तथा उपार्जित मात्रा योजना प्रावधान अनुसार प्रोत्साहन राशि भुगतान के लिये मान्य होगी।

5. पंजीकृत कृषको द्वारा बोनी एवं उत्पादकता के आधार पर उत्पादन की पात्रता की सीमा तक उपार्जन अवधि मे, कृषि उपज मण्डी के साथ–साथ, मण्डी बोर्ड से एकल लायसेंस (कय केन्द्र स्थापित करके कृषको की उपज सीधे कय करने बावत) प्राप्त संस्थाओ द्वारा स्थापित कय केन्द्रो पर भी कृषि उपज गेहूँ का विकय करने पर पंजीकृत कृषको को रूपये 160 प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

6. योजनान्तर्गत गेहूँ उपार्जन के लिये नियत विक्रय अवधि में, गेहुं के पंजीकृत कृषक, मण्डी बोर्ड, भोपाल से एकल लायसेंस प्राप्त संस्थाओ द्वारा स्थापित कय केन्द्रो पर भी कृषि उपज गेहूँ सीधे विक्रय कर सकेंगे।

7. मण्डी बोर्ड के द्वारा वर्तमान मे मेसर्स आईटीसी लिमिटेड–(एबीडी) को "म0प्र0 कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 के अन्तर्गत विशेष अनुज्ञप्ति कमांक एसएल/05/01 दिनांक 25.08.2015, मण्डी क्षेत्रो मे क्रय केन्द्र स्थापना हेतु प्रदान की गई है। मेसर्स आईटीसी लिमिटेड–(एबीडी) के कय केन्द्रो की सूची (परिशिष्ट–1) संलग्न है। सूची मे कय केन्द्रो की संख्या 24 है।

8. उक्त योजना अंतर्गत गेहूँ उपार्जन के लिये नियत उपार्जन अवधि में मण्डी प्रांगण मे पंजीकृत कृषको के कृषि उपज गेहूँ विक्रय की स्थिति में प्रवेश पर्ची, अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची, भुगतान पर्ची के संधारण एवं पोर्टल पर प्रविष्टि के संबधं मे मण्डी बोर्ड की भावान्तर भुगतान शाखा के द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये है।

9. मेसर्स आईटीसी लिमिटेड–(एबीडी) के द्वारा उपरोक्तानुसार संलग्न सूची अनुसार कय केन्द्रो मे से रबी सीजन 2019–20 के लिये प्रारंम्भ मे कुल 16 केन्द्रो पर गेहुं की खरीदी का कार्य किया जाना है। सूची **परिशिष्ट–2 पर** है।

10. मेसर्स आईटीसी लिमिटेड–(एबीडी) के कय केन्द्रो पर पंजीकृत कृषको के द्वारा कृषि उपज गेहूँ विकय की स्थिति मे अभिलेखो का संधारण एवं पोर्टल पर प्रविष्टि के संबधं मे वही प्रकिया अपनाई जायेगी जो कि मण्डी प्रांगण मे विकय पर मण्डियों द्वारा अपनाई जा रही है। इस संबंध मे प्रकियम निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है :–

- योजनान्तर्गत गेहूँ उपार्जन के लिये नियत विकय अवधि में, पंजीकृत कृषको के द्वारा उक्त कय केन्द्रो पर कृषि उपज गेहूँ विकय के समय, ई–उपार्जन पोर्टल पर कृषक पंजीयन के समय प्राप्त पंजीयन आई.डी. कमांक की पर्ची, तथा आधार कार्ड की प्रतिलिपि लायसेंसी संस्था द्वारा प्राप्त की जाना आवश्यक होगा।
- कय केन्द्रो पर होने वाले विकय संव्यवहारो की प्रविष्टि हेतु विशेष अनुज्ञप्तिधारी को पोर्टल पर Access हेतु Login ID व Password प्रदान किया जावेगा। यह कार्यवाही NIC भोपाल के द्वारा की जा रही है।

- क्रय केन्द्र मे पंजीकृत कृषको के कृषि उपज गेहूँ का विक्रय करने हेतु लाने वाले वाहनो को **इलेक्ट्रानिक प्रवेश पर्ची** जारी की जायेगी जिसका एक यूनिक नम्बर होगा। इस नम्बर को **सौदा पत्रक पर दर्ज करना अनिवार्य होगा** और अन्य अभिलेख अर्थात **सौदा पत्रक, तौल पर्ची, भुगतान पर्ची** पर पंजीकृत कृषक का **पंजीयन आई.डी. क्रमांक को अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।**
- **इलेक्ट्रानिक प्रवेश पर्ची हेतु मोबाइल एप का लिंक एनआईसी भोपाल द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा मोबाइल एप से इलेक्ट्रानिक प्रवेश पर्ची जारी करने का प्रशिक्षण संबंधित मण्डी के कर्मचारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।**
- **प्रवेश गेट पर सीसीटीव्ही कैमरे लगाये जावेगे ताकि वास्तविक आवक की रिकार्डिंग सुनिश्चित हो सके।**
- **प्रवेश पर्ची, सौदा पत्रक, तौल पर्ची, भुगतान पर्ची** आदि जानकारी की प्रति क्रय केन्द्र पर सुरक्षित रखते हुए पोर्टल पर सही जानकारी इन्द्राज किए जाने का दायित्व संबंधित क्रय केन्द्र प्रभारी का होगा। जिसका सतत् पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण संबंधित मण्डी समिति के सचिव द्वारा किया जायेगा।
- प्रत्येक क्रय केन्द्र पर लायसेंस की शर्त अनुसार आवश्यक सुविधाए यथा पानी, तौल कांटा, छायादार स्थल, शौचालय आदि व्यवस्थित रखी जायेगी।
- प्रत्येक क्रय केन्द्रो पर पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत किसानो द्वारा विक्रय की गई गेहूँ की मात्रा, किसानो की संख्या, नाम आदि का विधिवत रिकार्ड संधारित रखा जावेगा।
- क्रय केन्द्रो पर पंजीकृत कृषको द्वारा कृषि उपज गेहूँ विक्रय की स्थिति में, लायसेंसी संस्था द्वारा विक्रेता पंजीकृत कृषक को कृषि उपज गेहूँ के कुल मूल्य के 50 प्रतिशत या रूपये 10000/– (दोनो मे से जो भी कम हो) का भुगतान पंजीकृत किसान के बैंक खाते मे RTGS/NEFT से किया जाना अनिवार्य होगा।
- पंजीकृत एवं अपंजीकृत कृषको की कृषि उपज की खरीदी साथ–साथ की जायेगी।
- मेसर्स आईटीसी लिमिटेड–(एबीडी) के क्रय केन्द्रो की एनआईसी के द्वारा जिओ टैगिंग कराई जायेगी। अतः क्रय केन्द्रो के बाहर पंजीकृत कृषको की कृषि उपज गेहूँ का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
- क्रय केन्द्र पर पदस्थ मेसर्स आईटीसी लिमिटेड–(एबीडी) के कर्मचारियो के द्वारा प्रत्येक पंजीकृत संव्यवहार की पोर्टल पर प्रविष्टि, उसी दिन अथवा अधिक से अधिक अगले कार्य दिवस मे करना अनिवार्य होगा।
- उक्तानुसार पंजीकृत संव्यवहार की प्रविष्टि का सत्यापन, संबंधित मण्डी सचिव के द्वारा किया जायेगा।
- क्रय केन्द्रो पर दृश्य स्थल पर फ्लैक्स लगाकर सुस्पष्ट अक्षरो मे प्रतिदिन के भाव एवं मण्डी के मॉडल भाव प्रदर्शित किये जायेगे।

11. क्रय केन्द्रो मे निष्पादित सौदो मे विक्रय मूल्य की न्यूनतम सीमा के संबंध मे जारी मंडी बोर्ड मुख्यालय के निर्देश क्रमांक/बी–6/नियमन/2014/214/ 3210 दिनांक 12.12.2014 का पालन किया जायेगा। **(परिशिष्ट–3)**

क्रय केन्द्रो पर विक्रय मूल्य किसी भी स्थिति में संबंधित मण्डी क्षेत्र के मण्डी समिति मे प्रवृत्त मॉडल भावो से कम नही हो सकेगा। क्रय केन्द्र पर पदस्थ मण्डी कर्मचारी यह सुनिश्चित करेगा। मण्डी सचिव इसका पर्यवेक्षण करेगे।

12. क्रय केन्द्रो पर किसी भी तरह की फर्जी/कागजी खरीदी की शिकायत प्राप्त होने अथवा ज्ञात होने की स्थिति मे जांच उपरांत मेसर्स आईटीसी लिमिटेड–(एबीडी) पर मण्डी अधिनियम, उपविधि के प्रावधानो के अधीन नियमानुसार कार्यवहाी की जायेगी। साथ ही वैधानिक/कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

13. विक्रय अवधि समाप्ति उपरांत पंजीकृत कृषको द्वारा इन केन्द्रो पर कृषि उपज गेहूँ के विक्रय करने पर प्रोत्साहन राशि देय नही होगी।

14. मण्डी सचिव प्रतिदिन मेसर्स आईटीसी लिमिटेड–(एबीडी) के क्रय केन्द्रो का सतत् पर्यवेक्षण करेगे।

15. ई–उपार्जन पोर्टल पर गेहुं की उपार्जित मात्रा जिसमे मण्डी मे विक्रय मात्रा एवं मेसर्स आईटीसी लिमिटेड–(एबीडी) द्वारा निर्धारित क्रय केन्द्रो पर क्रय की गई मात्रा को पात्रता की सीमा तक गणना कर जिला कलेक्टर द्वारा संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को मांग पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। पात्रता की सीमा की गणना के लिये जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित जिला क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जायेगा।

16. पंजीकृत किसानो के सत्यापित बैंक खाते मे RTGS/NEFT फेल हो जाने या बैंक खातो के संबंध मे किसी भी विवाद की स्थिति मे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित समिति स्थानिय जांच कराने तथा 15 दिवस मे निर्णय कर नवीन प्रमाणीकृत बैंक खाते मे किसानो को राशि प्रदान करने हेतु अधिकृत होगी।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह–प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रं./बी–6/नियमन /परिपत्र/216/1525 भोपाल, दिनांक 15/03/2019

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2 आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय।
3 संचालक, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास।
4 कलेक्टर जिला समस्त।
5 अपर संचालक (भा0भु0यो0) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6 अपर संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

आयुक्त सह–प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पारिशिष्ट-1

(321)

प्रारूप—तीन
(नियम 8 देखिए)

कार्यालय
अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

परिशिष्ट - "ब"

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./05/01 दिनांक 25/08/2015

श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स आई.टी.सी. लि. (एबी.डी.) पता — ऑफिस न. 301, तृतीय तल, कॉर्पोरेट जोन, सी-21 मॉल, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल (म.प्र.) को अधिनियम की धारा [illegible] के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु दिनाँक 18 अगस्त वर्ष 2015 को विशेष अनुज्ञप्ति अनंतिम रूप से दी जाती है/नवीनीकृत की जाती है।

क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
	तिलहन/धान्य तथा दलहन	आष्टा	कृषि उपज मंडी समिति आष्टा जिला सीहोर	लागू नहीं	लागू नहीं	सचिन मालवनकर (मो0 7024256641)	वाणिज्यक संव्यवहार
	तिलहन/धान्य तथा दलहन	बानापुरा	कृषि उपज मंडी समिति, बानापुरा जिला होशंगाबाद	लागू नहीं	लागू नहीं	बसंत राजपूत (मो0 7024256918)	वाणिज्यक संव्यवहार
	तिलहन/धान्य तथा दलहन	गंजबासौदा	कृषि उपज मंडी प्रांगण, गंजबासौदा जिला विदिशा	साधना वेयरहाउस ग्राम-जीवाजीपुर, गंजबासौदा गोयल वेयरहाउस, ग्राम हवीरा, गंजबासौदा ✓	साधना [illegible] ग्राम-जीवाजीपुर, गंजबासौदा गोयल [illegible] हवीरा, गंजबासौदा	[illegible] (मो0 [illegible]990067) साधना [illegible] ग्राम- जीवाजीपुर, गंजबासौदा	
4	तिलहन/धान्य तथा दलहन	हरदा	कृषि उपज मंडी समिति, हरदा जिला हरदा	लागू नहीं	लागू नहीं	[illegible] (मो0 7024256616)	वाणिज्यक संव्यवहार
5	तिलहन/धान्य तथा दलहन	इटारसी	कृषि उपज मंडी समिति, इटारसी जिला होशंगाबाद	चौपाल सागर, इटारसी ✓	चौपाल सागर, ग्राम रसलपुर, इटारसी	इन्दरसिंह पटेल (मो0 9617990064) चौपाल सागर, ग्राम रसलपुर, इटारसी	
6	तिलहन/धान्य तथा दलहन	औबेदुल्लागंज	कृषि उपज मंडी समिति, औबेदुल्लागंज जिला रायसेन	महेन्द्र एग्रो सर्विस वेयरहाउस, ग्राम नूरगंज, बंसल कॉलेज के पास नानाखेड़ी, मण्डीदीप	महेन्द्र एग्रो सर्विस वेयरहाउस, ग्राम नूरगंज, बंसल कॉलेज के पास नानाखेड़ी, मण्डीदीप	एन.पी. उपाध्याय (मो0 9617990078) महेन्द्र एग्रो सर्विस वेयरहाउस, ग्राम नूरगंज, बंसल कॉलेज के पास नानाखेड़ी, मण्डीदीप	
7	तिलहन	नसरुल्लागंज	कृषि उपज मंडी समिति नसरुल्लागंज, जिला रायसेन	जी.एम.वेयरहाउस, ग्राम सोठिया, तह.नसरुल्लागंज	जी.एम.वेयरहाउस ग्राम सोठिया तह.नसरुल्लागंज	इन्दरसिंह पटेल (मो0 9617990064)	

	[illegible] तथा	पिपरिया	कृषि उपज मंडी समिति, पिपरिया जिला होशंगाबाद	[illegible] कारपोरेशन, सोहागपुर रोड, हलवास, पिपरिया	[illegible] कारपोरेशन [illegible] हलवास सोहागपुर रोड रिलायंस पेट्रोल पंप के पास पिपरिया	[illegible] (मो0 9617990064) अन्नपूर्णा वेयरहाउस कारपोरेशन, ग्राम हलवास, सोहागपुर रोड, रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, पिपरिया।	
	[illegible] धान्य तथा	सीहोर	कृषि उपज मंडी समिति, सीहोर जिला सीहोर	आई.टी.सी. चौपाल सागर, रफीकगंज, सीहोर	आई.टी.सी. चौपाल सागर, ग्राम रफीकगंज, ए.बी. रोड, सीहोर	[illegible] (मो0 9617990057) आई.टी.सी. चौपाल सागर, ग्राम रफीकगंज, ए.बी. रोड, सीहोर	
	[illegible] तथा			रूचि वेयरहाउस, इन्दौर-भोपाल रोड, रफिकगंज, सीहोर	रूचि वेयरहाउस, इन्दौर-भोपाल रोड, रफिकगंज, सीहोर	रूचि वेयरहाउस, इन्दौर-भोपाल रोड, रफिकगंज, सीहोर	
	[illegible] / धान्य तथा [illegible]	टिमरनी	कृषि उपज मंडी प्रांगण, टिमरनी जिला हरदा	श्याम वेयरहाउस, पिपलिया माफी रोड, टिमरनी	श्याम वेयरहाउस, पिपलिया माफी रोड, टिमरनी	[illegible] (मो0 7024256916), श्याम वेयरहाउस, पिपलिया माफी रोड, टिमरनी	
	[illegible] / धान्य तथा [illegible]			कुसुम वेयर हाउस, रहटगाँव रोड, ग्राम भायली, टिमरनी	कुसुम वेयर हाउस, रहटगाँव रोड, ग्राम भायली, टिमरनी		
	तिलहन / धान्य तथा दलहन	विदिशा	कृषि उपज मंडी समिति, विदिशा जिला विदिशा	चौपाल सागर, ग्राम-बिआस, धौलखेड़ी चौराहा, बासौदा रोड, विदिशा	चौपाल सागर, ग्राम-बिआस, धौलखेडी चौराहा, बासौदा रोड, विदिशा	[illegible] (मो0 [illegible]) 43) चौपाल सागर, ग्राम-बिआस, धौलखेडी चौराहा, बासौदा रोड, विदिशा	
				कोयल वेयरहाउस, ग्राम-बिआस, स्टेट हाईवे-19, विदिशा	कोयल वेयरहाउस, ग्राम-बिआस, स्टेट हाईवे-19, विदिशा		
12	तिलहन / धान्य तथा दलहन	अशोकनगर	कृषि उपज मंडी समिति, अशोकनगर जिला अशोकनगर	बगुलिया वेयरहाउस, ग्राम मारूफ, गुना रोड, अशोकनगर	बगुलिया वेयरहाउस, ग्राम मारूफ, गुना रोड, अशोकनगर	राजेश राय (मो0 9617990077)	
	तिलहन / धान्य तथा दलहन			रूचि इन्फ्रास्ट्रक्चर, लि. हनुमान मंदिर के पास, ईशागढ़ रोड, अशाकनगर	रूचि इन्फ्रास्ट्रक्चर, लि. हनुमान मंदिर के पास, ईशागढ़ रोड, अशाकनगर		
	तिलहन / धान्य तथा दलहन			मेट्रो वेयरहाउस, ईशागढ़ रोड, संकटमोचक हनुमान मंदिर के पास, अशोकनगर।	मेट्रो वेयरहाउस, ईशागढ़ रोड, संकटमोचक हनुमान मंदिर के पास, अशोकनगर।		
13	धान्य तथा दलहन तथा तिलहन	डबरा	कृषि उपज मंडी समिति, डबरा जिला ग्वालियर	वाणिज्यक सव्यवहार हेतु	वाणिज्यक सव्यवहार हेतु		
14	धान्य तथा दलहन	दतिया	कृषि उपज मंडी समिति दतिया जिला दतिया	वाणिज्यक सव्यवहार हेतु	वाणिज्यक सव्यवहार हेतु	[illegible] सिंह (मो0 9617990102)	वाणिज्यक सव्यवहार
15	तिलहन / धान्य तथा दलहन	गुना	कृषि उपज मंडी समिति गुना जिला गुना	अग्रवाल वेयर हाऊस, बायपास रोड के पास, गुना	अग्रवाल वेयर हाऊस, बायपास रोड के पास, गुना	सचिदानंद पाण्डे (मो0 9617990118)	वाणिज्यक सव्यवहार
	तिलहन / धान्य तथा दलहन			न्यू अग्रवाल वेयर हाऊस कॉर्पोरेशन, रानीगंज, गुना	न्यू अग्रवाल वेयर हाऊस कॉर्पोरेशन, रानीगंज, गुना	शशांक देव (मो0 9617990085) अग्रवाल वेयर हाऊस, बायपास रोड के पास, गुना	

			...धार जिला धार	चौपाल सागर, ग्राम जैतपुरा इन्दौर रोड, धार	चौपाल सागर, ग्राम जैतपुरा, इन्दौर रोड, धार	नवनीत सिंह (मो0 9617990056) चौपाल सागर, ग्राम जैतपुरा, इन्दौर रोड, धार	
	तिलहन/धान्य तथा दलहन	खण्डवा	कृषि उपज मंडी समिति खण्डवा, जिला खण्डवा	शुभम वेयरहाउस, पंधाना रोड, खण्डवा	शुभम वेयरहाउस, पंधाना रोड, खण्डवा	सचिन नेमा (मो0 9617990087) शुभम वेयरहाउस, पंधाना रोड, खण्डवा	
	तिलहन/धान्य तथा दलहन	महू	कृषि उपज मंडी समिति, महू जिला इन्दौर	चौपाल सागर, ग्राम–गवली पलासिया, ए.बी. रोड, महू	चौपाल सागर, ग्राम–गवली पलासिया, ए.बी. रोड, महू	[illegible] लालवानी (मो0 9617990059) चौपाल सागर, ग्राम–गवली पलासिया, ए.बी. रोड, महू	
19	तिलहन/धान्य तथा दलहन/सब्जी, फल तथा फूल	छिन्दवाड़ा	कृषि उपज मंडी समिति, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	चौपाल सागर ग्राम–इमलिया, छिन्दवाड़ा	चौपाल सागर ग्राम–इमलिया छिन्दवाड़ा	अमोल आडे (मो0 9617990065) चौपाल सागर ग्राम–इमलिया, छिन्दवाड़ा	
20	धान्य तथा दलहन	कटनी	कृषि उपज मंडी समिति कटनी, जिला कटनी	27) वाणिज्यक संव्यवहार हेत।	वाणिज्यक संव्यवहार हेत	अजय पिल्लै (मो0 9617990067)	वाणिज्यक संव्यवहार
	धान्य तथा दलहन	सतना	कृषि उपज मंडी समिति, सतना, जिला सतना	28) वाणिज्यक संव्यवहार हेत	वाणिज्यक संव्यवहार हेत	लक्ष्मीकांत शुक्ला (मो0 702425661)	वाणिज्यक संव्यवहार
22	तिलहन/धान्य तथा दलहन	सागर	कृषि उपज मंडी समिति, सागर जिला सागर	29) मधुर अमरनाथ एग्रोपार्क वेयरहाउस, ग्राम पथरिया, खुरई रोड, सागर।	मधुर अमरनाथ एग्रोपार्क वेयरहाउस, ग्राम पथरिया, खुरई रोड, सागर।	रितेश व्यास (मो0 9617990084) मधुर अमरनाथ एग्रोपार्क वेयरहाउस, ग्राम पथरिया, खुरई रोड, सागर	
23	तिलहन/धान्य तथा दलहन	बड़नगर	कृषि उपज मंडी समिति, बड़नगर, जिला उज्जैन	30) माँ तुलसी वेयरहाउस, ग्राम कजलाना, बड़नगर	माँ तुलसी वेयरहाउस, ग्राम कजलाना, बड़नगर	राजेश पाटीदार (मो0 9617990072) माँ तुलसी वेयरहाउस, ग्राम कजलाना, बड़नगर	
2	तिलहन/धान्य तथा दलहन	दलौदा	कृषि उपज मंडी समिति दलौदा, जिला मंदसौर	वाणिज्यक संव्यवहार हेत	वाणिज्यक संव्यवहार हेत	विकास चौधरी (मो0 9617990062), दलौदा, जिला मंदसौर	वाणिज्यक संव्यवहार
2	तिलहन/धान्य तथा दलहन/सब्जी, फल तथा फूल	देवास	कृषि उपज मंडी समिति देवास जिला देवास	चौपाल सागर, ग्राम लोहार पिपलिया, रिलायस पेट्रोल पंप के पास, ए.बी. रोड, देवास	चौपाल सागर, ग्राम लोहार पिपलिया, रिलायस पेट्रोल पंप के पास, ए.बी. रोड, देवास	राजीव बिसेन (मो0 9617990063) चौपाल सागर, ग्राम लोहार पिपलिया, रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, ए.बी. रोड, देवास	
26	धान्य तथा दलहन	मनासा	कृषि उपज मंडी समिति, मनासा जिला नीमच	लागू नही ।	लागू नही ।	राकेश पाण्डे (मो0 9617990081), मनासा, जिला नीमच	वाणिज्यक संव्यवहार
27	तिलहन/धान्य तथा दलहन	मंदसौर	कृषि उपज मंडी समिति, मंदसौर जिला मंदसौर	चौपाल सागर, ग्राम–अजीजखेड़ी, महू–नीमच रोड, मंदसौर	चौपाल सागर, ग्राम–अजीजखेड़ी, महू–नीमच रोड, मंदसौर	विकास चौधरी (मो0 9617990062) चौपाल सागर, ग्राम–अजीजखेड़ी, महू–नीमच रोड, मंदसौर	

…	मक्सी	कृषि उपज मंडी समिति, मक्सी, जिला शाजापुर	माँ अम्बिका पटेल वेयरहाउस, खसरा नं. 1909, ग्राम मक्सी, तह एवं जिला शाजापुर।	माँ अम्बिका पटेल वेयरहाउस, खसरा नं. 1909, ग्राम मक्सी, तह एवं जिला शाजापुर।	…दुबे (मो0 7024256616) माँ अम्बिका पटेल वेयरहाउस, खसरा नं. 1909, ग्राम मक्सी, तह एवं जिला शाजापुर।	
…/धान्य तथा …	नागदा	कृषि उपज मंडी समिति, नागदा जिला उज्जैन	चौपाल सागर, उज्जैन इंगोरिया रोड, नागदा	चौपाल सागर, उज्जैन इंगोरिया रोड, नागदा	अनिल सतपूते (मो0 9617990058) चौपाल सागर, उज्जैन इंगोरिया रोड, नागदा	
…तिलहन/धान्य तथा दलहन	नीमच	कृषि उपज मंडी समिति, नीमच जिला नीमच	झांझड़वाड़ा वेयरहाउस, ग्राम–रावतखेड़ा, मनासा रोड, नीमच रूचि वेयरहाऊस, मनासा रोड, नीमच	झांझड़वाड़ा वेयरहाउस, ग्राम–रावतखेड़ा, मनासा रोड, नीमच रूचि वेयरहाऊस, मनासा रोड, नीमच	राकेश पाण्डे (मो0 9617990081) झांझड़वाड़ा वेयरहाउस, ग्राम–रावतखेड़ा, मनासा रोड, नीमच	
…/धान्य तथा …	रतलाम	कृषि उपज मंडी समिति, रतलाम जिला रतलाम	चौपाल सागर, ग्राम खाराखेड़ी, महु–नीमच रोड, रतलाम रूचि वेयरहाऊस, ग्राम मंगरोल, फंटा, महु–नीमच रोड, रतलाम	चौपाल सागर, ग्राम खाराखेड़ी, महु–नीमच रोड, रतलाम रूचि वेयरहाऊस, ग्राम मंगरोल, फंटा, महु–नीमच रोड, रतलाम	राजेश पाटीदार (मो0 9617990072) चौपाल सागर, ग्राम खाराखेड़ी, महु–नीमच रोड, रतलाम।	
तिलहन/धान्य तथा दलहन	शुजालपुर	कृषि उपज मंडी समिति शुजालपुर जिला शाजापुर	मधुर विश्वनाथ वेयरहाउस, ग्राम किरोनी, आष्टा रोड, शुजालपुर	मधुर विश्वनाथ वेयरहाउस, ग्राम किरोनी, आष्टा रोड, शुजालपुर	[illegible]प्रकाश द्विवेदी (मो0 9617990057) मधुर विश्वनाथ वेयरहाउस, ग्राम किरोनी, आष्टा रोड, शुजालपुर	
तिलहन/धान्य तथा दलहन	उज्जैन	कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन जिला उज्जैन	चौपाल सागर, ग्राम चक्कामेद, आगर रोड, उज्जैन	चौपाल सागर, ग्राम चक्कामेद, आगर रोड, उज्जैन	अनुपम श्रीवास्तव (मो0 9617990066) चौपाल सागर, ग्राम चक्कामेद, आगर रोड, उज्जैन	

… अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय …

अनु0क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मे0टन में [नियम 4 (2) देखिए]
(1)	(2)	(3)
1	सब्जी, फल तथा फूल	10,000 मे0टन
2	तिलहन	50,000 मे0टन
3	धान्य तथा दलहन	50,000 मे0टन

…अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के दिये जाने/नवीनीकृत किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रत्येक विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा.–

…इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
…जल की समुचित व्यवस्था
…प्रकाश की समुचित व्यवस्था
…पुरूष तथा महिलाओं के लिये शौचालय की प्रसुविधा
…शेड की व्यवस्था

Gmail

Subodl dsubmpsamb@gmail.com>

Fw: Name of the locations

1 message

Subodh Deshpande <Subodh.Deshpande@itc.in> Mon, Mar 11, 2019 at 3:50 PM
To: ddsubmpsamb@gmail.com

With Regards.
Subodh Deshpande
ITC LTD - ABD.
0755 - 4018051

----- Forwarded by Subodh Deshpande/ABD/ITC on 03/11/2019 03:50 PM -----

From: Subodh Deshpande/ABD/ITC
To: ddsubmpsamb@gamil.com,
Date: 03/11/2019 03:41 PM
Subject: Name of the locations

Dear Sandeep,

As discussed, kindly find the same.

S.no.	Location
1	Chindwara
2	Dewas
3	Dhar
4	Itarsi
5	Mandsore
6	Mhow
7	Nagdha
8	Ratlam
9	Sehore
10	Ujjain
11	Vidisha
12	Khandwa
13	Sagar
14	Neemuch
15	Ashoknagar
16	Ganjbasoda

With Regards.
Subodh Deshpande
ITC LTD - ABD.
0755 - 4018051

Disclaimer:
This Communication is for the exclusive use of the intended recipient(s) and shall not attach any liability on the originator or ITC Ltd./its Subsidiaries/its Group Companies.
If you are the addressee, the contents of this email are intended for your use only and it shall not be forwarded to any third party, without first obtaining written authorization from the originator or ITC Ltd./its Subsidiaries/its Group Companies.
It may contain information which is confidential and legally privileged and the same shall not be used or dealt with by any third party in any manner whatsoever without the specific consent of ITC Ltd./its Subsidiaries/its Group Companies.
If this Email is received in error, please contact the System Administrator of ITC Limited at webmaster@itc.in by quoting the name of the sender and the Email address to which it has been sent and then delete it.
Please note that ITC Ltd/its subsidiaries/its Group Companies accept no responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this Email and any attachments.
Please be advised that Email communications will not result in an agreement binding ITC Ltd/its subsidiaries/its Group Companies. Such contracts should be executed separately and only by managers authorized in this behalf.

परिशिष्ट-3 [redacted]

तत्काल/अत्यावश्यक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बो0
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/2014/214/3210 भोपाल, दिनांकः 12.12.2014

–:: आदेश ::–

प्रदेश में उत्पादित कृषि जिन्सो के प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य किसानों को दिलाने के लिए निम्नांकित कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाये:–

1– कृषि उपज मंडी उपविधि सन 2000 में अधिसूचित कृषि जिन्स के सौदा पत्रक के आधार पर विक्रय के प्रावधान है तथा मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश क्रमांक/बी–6/नियमन/उपविधि संशो/2014/1775 दिनांक 29.08.2009 के द्वारा उपविधि की कडिका (2)(ड) एवं उपविधि की कडिका 16(4) के परन्तुंक में संशोधन किये गये है जो कि दिनांक 16.09.2009 से उपविधि सन 2000 में प्रतिस्थापित होकर आबद्धकर है।। (सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न है)

2– कतिपय रूप से राज्य शासन स्तर पर यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि मंडी समितियों के द्वारा उपविधियों के उपरोक्त उल्लेखित प्रावधान अनुसार सौदा पत्रक द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्सों का विक्रय सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है।

3– अतः निर्देशित किया जाता है कि :–

3.1– मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण अथवा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल या क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि जिन्स का सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय होगा वह मूल मंडी प्रांगण में तत् दिनांक एवं समय को संदर्भित अधिसूचित जिन्स के मॉडल भाव से कम पर कदापि संपादित नही कराया जायेगा।

3.2– उपमंडी प्रांगण/क्रय केन्द्र/बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर मूल मंडी प्रांगण में संदर्भित कृषि जिन्स के मॉडल भाव के साथ साथ आस–पास की प्रमुख मंडियों के मॉडल भाव भी किसानों की सुविधा के लिये प्रदर्शित किये जायेगें।

3.3– उपमंडी प्रांगण/क्रय केन्द्र/बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर दैनिक अधिसूचित कृषि जिन्स का विक्रय का कार्य मंडी के अधिकृत कर्मचारी की उपस्थिति में ही सम्पन्न होगा।

3.4– मंडी क्षेत्र में मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण/क्रय केन्द्र/बोर्ड या राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर अधिसूचित कृषि जिन्स के विक्रय की अनुमति नहीं है। अतः मंडी अधिनियम एवं उपविधियों के प्रावधानों को पूर्णतः एवं स्पष्टता के साथ पालन सुनिश्चित कराया जाये।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/2014/214/3211 भोपाल, दिनांकः 12.12.2014

प्रतिलिपिः–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3– सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4– संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय .... को उपरोक्त निर्देशों के तत्काल एवं सतत् पालन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

5– सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.................................. को उपरोक्त निर्देशों के तत्काल एवं सतत् पालन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल